1

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

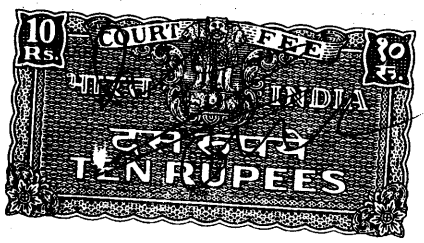

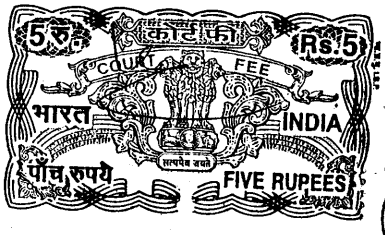

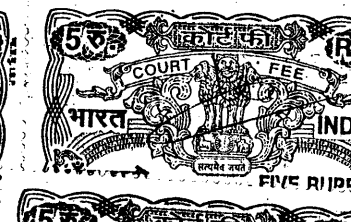

10

अपील 1012-III/10

चुमनी तनय धनुकधारी भुजवा उम्र 80 साल, पेशा खेती, निबासीग्राम मधुरी पवाई, तहसील गोपद बनास, जिला सीधीम0प्र0------[redacted]
हाल मुकाम नौगवां धीर सिंह (रबारी टोला) पो.आ. पनवार जिला सीधी (म.प्र.) निगरानीकर्ता/अपीलार्थी

---बनाम---

1/ शुक्रमणि राम ब्रा० तनय लल्लारामब्रा० उम्र 35 साल, निबासीग्राम मधुरी वाई, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म0प्र0 ।

2/ लल्लाराम तनय वेनीमाधव राम पेशा खेती, निबासीग्राम मधुरी बवाई, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म0प्र0 ।

3/ म0प्र0 शासन ---------उत्तरवादीगण

निगरानी [redacted] विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक- 428/अपील/04-05 में पारित आदेश दिनांक 6/7/2009•

अपील अन्तर्गत धारा- 50[redacted] म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959•

क्रमांक 1739
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त
दिनांक 7-7-10 को प्राप्त
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

अपीलार्थी द्वारा निम्न आधारों पर निगरानी [redacted] प्रस्तुत है:--

1/ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि प्रकृया एवं तथ्यों का अवलोकन किये बिना यॉत्रिकी तौर पर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

2/ यह कि अधीनस्थन्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील/1012–तीन/2010 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 वाजपये एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी तथा पैनल अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ल द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील गोपदबनास गिर्द 02 सीधी के न्यायालय में आवेदक के द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32, 115, 41 एवं 116 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वह ग्राम मधुरी पवाई का पुस्तैनी वासिंदा है एवं इस ग्राम की आराजी नं0 2 रकवा 1.25 एवं खसरा नं.0 3 रकवा 0.54 एक में मकान बनाकर शेष रकवे पर काबिज व आबाद हैं। उक्त भूमियां वर्ष 1979–80 से 93–94 तक में उसका कब्जा राजस्व अभिलेखों में अंकित है। चूंकि उक्त भूमियां म0प्र0 शासन के स्वत्व की हैं इसलिए आवेदक का नाम भूमिस्वामी दर्ज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–6–अ/00–01 में पारित आदेश दिनांक 10–9–01 के द्वारा आराजी भूमि पर आवेदक के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध शुकमणि राम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोवदबना के न्यायालय में अपील दायर की गई जिसमें उन्होंने प्रकरण कमांक 09/अपील/01–02 में पारित आदेश दिनांक 25–4–05 के द्वारा अपील खारिज की गई जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई।	

अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण कमांक 423/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक 6–7–09 के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10–9–2001 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी आवेदक के पक्ष में हुये विचारण न्यायालय के आदेश को उचित माना है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के के जिस आदेश 08–10–04 का हवाला देकर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये हैं, व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील 1282/2004 लंबित है इसलिए व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश को अंतिम नहीं माना जा सकता है। जैसा कि उपर विवेचना की गई है चूंकि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील मान0 उच्च न्यायालय में प्रचलित होकर लंबित है इसलिए व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन भी किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अपर

आयुक्त ने मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित द्वितीय अपील में अंतिम आदेश के पूर्व ही व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन करने में त्रुटि की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 6–7–2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किाय जाता है कि मान0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत गुण–दोषों पर आदेश पारित करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य